भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) का कार्यालय

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171003

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन पर

प्रेस विज्ञप्ति

(अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन [2026 की रिपोर्ट संख्या 03 (अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)] मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए पशुपालन विभाग, कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं, ग्रामीण विकास तथा लोक निर्माण विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया गया है। प्रतिवेदन 11.06.2026 को हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजा गया था। प्रतिवेदन 03.09.2026 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखा गया है।

प्रतिवेदन में तीन विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाएं तथा एक स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणी सम्मिलित हैं।

मुख्य निष्कर्ष:

कारागार एवं सुधारात्मक सेवाएं विभाग

हिमाचल प्रदेश कारागारों की कार्यप्रणाली पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में वर्ष 2021-24 की अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश के कारागारों में शासन, वित्त व कल्याण सेवाओं की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में महानिदेशक, कारागार के कार्यालय, एक आदर्श केंद्रीय कारागार, तीन जिला कारागार व एक उप-कारागार को समाविष्ट किया गया, जिनका चयन यादृच्छिक नमूना पद्धति के माध्यम से किया गया। यह लेखापरीक्षा अक्टूबर 2024 व जनवरी 2025 के मध्य आयोजित की गई, जिसके निष्कर्षों

पर अंतिम बैठक (सितंबर 2025) में चर्चा की गई, जहां सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को बड़े पैमाने पर स्वीकार किया।

आदर्श कारागार नियमावली के तहत अनिवार्य सांविधिक निकायों के गठन को हिमाचल प्रदेश कारागार नियमावली 2021 में शामिल नहीं किया गया, जिनमें राज्य सलाहकार बोर्ड, कारागार विकास बोर्ड व आगंतुक बोर्ड शामिल हैं। वर्ष 2021-24 के दौरान कारागारों के लिए कोई वार्षिक कार्य योजना या राज्य योजना तैयार नहीं की गई, जिससे सुधार के कार्य विखंडित रहे और किसी सुव्यवस्थित नीतिगत दिशा के बिना चलते रहे। अनिवार्य निरीक्षण, कल्याण समिति की बैठकें व उद्योग लेखापरीक्षा जैसे आंतरिक निरीक्षण तंत्र या तो विद्यमान नहीं थे या अनियमित थे।

आदर्श कारागार नियमावली 2016 के मानकों के अनुसार अपेक्षित 1,281 सुरक्षा कर्मियों के सापेक्ष अप्रैल 2024 तक केवल 466 (36 प्रतिशत) ही पदस्थ थे। नमूना-जांचित कारागारों में कर्मियों की कमी 49 से 61 प्रतिशत के मध्य रही, जिसके कारण विश्राम के दिनों को रद्द करना पड़ा, तदर्थ पुनर्नियुक्तियां करनी पड़ीं तथा होमगार्डों पर निर्भर रहना पड़ा। सहायक अधीक्षक (57 प्रतिशत रिक्त), डिस्पेंसर (68 प्रतिशत रिक्त), शिक्षक (100 प्रतिशत रिक्त) व सामाजिक कार्यकर्ता (100 प्रतिशत रिक्त) जैसे आवश्यक पदों पर रिक्तियां अत्यधिक थीं। इन कमियों के कारण सुरक्षा व पुनर्वास कार्यक्रम, दोनों प्रभावित हुए।

₹ 180.50 करोड़ (2021-24) के बजट आवंटन में से ₹ 3.95 करोड़ (दो प्रतिशत) की बचत दर्ज की गई। हालांकि सुधार व पुनर्वास हेतु कोई समर्पित बजट मद सृजित नहीं किया गया था। राजस्व सृजन कमजोर रहा, वर्ष 2021-24 के दौरान ₹ 1.28 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष केवल ₹ 0.57 करोड़ की ही वसूली हुई (कमी: 55 प्रतिशत)। 31 मार्च 2024 तक कैदी कल्याण कोष में ₹ 1.42 करोड़ एवं हिमकारा उन्नयन समिति के कोष में ₹ 1.29 करोड़ संचित थे, परन्तु इनका उपयोग न्यूनतम रहा।

कारागारों में भीड़भाड़ की समस्या बनी रही, क्योंकि 2,560 की स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष वर्ष 2023-24 के दौरान कैदियों की वास्तविक संख्या 2,921 रही, जो 14 प्रतिशत की अधिकता को दर्शाता है। महिला कैदियों की निरंतर उपस्थिति (100–118) के बावजूद कोई पृथक महिला कारागार या स्वागत केंद्र मौजूद नहीं था। स्वास्थ्य सेवाएं अपर्याप्त थीं: पुलिस एस्कॉर्ट की कमी के कारण रेफर किये गए मामलों में से 40 प्रतिशत मामलों (16,723 में से 6,731) को अस्पतालों में नहीं भेजा जा सका; दो प्रमुख कारागारों (कंडा व धर्मशाला) में अस्पताल के बिस्तरों की सुविधा संचालित नहीं थी। नमूना-जांचित पांच कारागारों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि केवल आदर्श केंद्रीय कारागार कंडा व जिला कारागार, धर्मशाला में ही चिकित्सा

अधिकारी उपलब्ध थे; शेष तीन कारागार प्रिस्क्रिप्शन दवाएं वितरित करने के लिए फार्मासिस्टों, डिस्पेंसरों या "मेडिक" के रूप में प्रशिक्षित वार्डरों पर निर्भर हैं, और इस बात का कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि सिविल अस्पतालों से प्रतिनियुक्त चिकित्सक किसी निर्धारित समय-सारणी के अनुसार नियमित रूप से भ्रमण करते हों। यह भी पाया गया कि दंत चिकित्सा कुर्सियां, निदान उपकरण व सहायक चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक उपकरण योग्य ऑपरेटरों की अनुपलब्धता के कारण बेकार रखे हुए थे।

शिक्षण की स्थिति उपेक्षित रही: शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई तथा 50 प्रतिशत से अधिक कैदी उच्च-माध्यमिक स्तर से नीचे होने के बावजूद इग्नू/एनआईओएस कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी नगण्य रही। कैदियों की मजदूरी का भुगतान अनियमित था, जिसमें विलम्ब एवं अलग-अलग कारागारों में अलग-अलग प्रथाएं देखी गईं। कई बार, विभागीय खर्चों की पूर्ति हेतु कैदियों के संपत्ति खातों का उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2024 तक ₹ 6.56 लाख की राशि कैदियों को देय रही।

राज्य ने "जेल वार्ता" प्लेटफॉर्म शुरू किया, जो समर्पित वीडियो लिंक के माध्यम से कैदियों को उनके परिवारों के साथ संवाद करने के लिए एक विनियमित तंत्र प्रदान करता है। जिला कारागार, सोलन ने इस सुविधा का अधिक उपयोग किया। तथापि यह तकनीक समुचित रूप से उपयोग में नहीं लाई जा सकी तथा विभिन्न कारागारों में इसका कार्यान्वयन असमान रहा। रिहा हुए कैदियों के लिए रिहाई के बाद की देखभाल के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं था, जिसके कारण इस अवधि के दौरान रिहा हुए 496 कैदी बिना किसी संरचित पुनर्वास अथवा सहायता के रह गए।

आंतरिक नियंत्रण तंत्र अपर्याप्त पाए गए, क्योंकि प्रबंधन समितियों की बैठकें अनियमित रूप से आयोजित की गई, कारागार उद्योगों के अधिकांश भाग की लेखापरीक्षा नहीं की गई तथा वर्ष 2021 से 2024 के बीच किसी भी कारागार में अनिवार्य अर्द्धवार्षिक निरीक्षण नहीं हुआ।

राज सरकार :

- *राज्य सलाहकार बोर्ड व कारागार विकास बोर्ड के गठन के संबंध में भारत सरकार के आदर्श कारागार नियमावली 2016 के प्रावधानों को अपनाये व कार्यान्वित करें;*
- *कार्मिकों की कमी के मुद्दे विशेष रूप से सुरक्षा व चिकित्सा कर्मचारियों की कमी को प्राथमिकता के आधार पर हल करें; और*

- *टेली-परामर्श व साझा-एस्कॉर्ट सुविधाओं के उपयोग की संभावनाओं को तलाशें, ताकि कैदियों को व्यक्तिगत रूप से अस्पताल ले जाने की आवश्यकता कम हो तथा मार्ग में होने वाले सुरक्षा जोखिमों को कम किया जा सके।*

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अन्तर्गत कार्यों की योजना एवं निष्पादन पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों के योजना निर्माण एवं निष्पादन की लेखापरीक्षा में श्रमिकों के पंजीकरण, कार्यों की योजना एवं निष्पादन तथा मजदूरी भुगतान में प्रणालीगत कमजोरियां उजागर हुईं। नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में वर्ष 2019-25 के दौरान 36.46 प्रतिशत जॉब कार्ड विलंब से जारी किए गए (249 दिनों का औसत विलम्ब) एवं फरवरी 2006 से सितंबर 2020 के बीच जारी किए गए 88.72 प्रतिशत जॉब कार्ड सितंबर 2025 तक नवीनीकरण या अपडेट हेतु लंबित थे। ये विलम्ब ग्राम पंचायतों में तैनात ग्राम रोजगार सहायकों की 14 प्रतिशत कमी तथा ब्लॉक एवं जिला स्तर के अधिकारियों द्वारा निगरानी न किए जाने के कारण हुए।

योजना निर्माण में कमी पाई गई क्योंकि न तो जिला स्तर पर पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार की गईं और न ही ग्राम पंचायत स्तर पर विकास योजनाएं बनाई गईं। सोलन व सिरमौर जिलों में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्यों को कार्य शेल्फ में किसी प्राथमिकता क्रम में नहीं रखा गया। कांगड़ा जिले में, हालांकि प्राथमिकताएं निर्दिष्ट की गई थीं, फिर भी कार्य निर्धारित क्रम के अनुसार स्वीकृत नहीं किए गए, अपितु यादृच्छिक रूप से चुने गए। इसके अतिरिक्त, नमूना-जांचित तीनों जिलों में किसी में भी कार्यों के शेल्फ की जांच करने तथा जिला-विशिष्ट अनुसूची दरें तैयार करने हेतु अनिवार्य जिला स्तरीय तकनीकी समितियां गठित नहीं की गईं। भौगोलिक सूचना प्रणाली/रिमोट सेंसिंग आधारित योजना निर्माण भी नहीं अपनाया गया। उन्नति परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास की योजना अपर्याप्त थी; क्योंकि वर्ष 2021-22 में 4,810 अभ्यर्थियों के लक्ष्य के सापेक्ष केवल 710 (15 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया, जो भारत सरकार की निधियों के अल्प उपयोग में परिणत हुआ।

गलत अनुमान विधियों, घर-घर सर्वेक्षणों के अभाव, आवश्यक अनुसूची दर की कमी एवं कमजोर निगरानी के कारण श्रम बजट में मांग का उचित आकलन नहीं किया गया। वर्ष 2019-24 के दौरान निष्पादन के लिए ₹ 3.08 करोड़ की लागत से स्वीकृत 193 चयनित कार्यों में से केवल 127 कार्य ही ₹ 1.45 करोड़ के व्यय से पूर्ण हुए, जिनमें से 57 कार्यों में 10 से 874 दिनों का विलम्ब था। इसके अतिरिक्त, ₹ 78.06 लाख की अनुमानित लागत वाले 50 कार्य अभी भी

चल रहे थे, जिन पर सितंबर 2024 तक ₹ 46.58 लाख खर्च किए जा चुके थे; इनमें से 23 कार्यों में 153 से 884 दिनों तक का विलम्ब देखा गया।

नमूना-जांचित छः खंडों में से किसी में भी केंद्रीकृत खरीद प्रणाली को नहीं अपनाया गया। ₹ 108.99 करोड़ की सामग्री की खरीद टुकड़ों में की गई; 24 ग्राम पंचायतों में ₹ 8.67 करोड़ की खरीद अलग-अलग दरों पर प्राप्त कोटेशन के माध्यम से की गई। मजदूरी भुगतान में, ₹ 77.47 करोड़ मूल्य के 3.41 लाख लेन-देन में विलम्ब हुआ, जिनमें 5,523 लेन-देन ऐसे थे जो 90 दिनों से अधिक समय तक रोके गए। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की अनिवार्य अनुमति के बिना, "पंचवटी योजना" के तहत 180 स्थलों पर ₹ 15.75 करोड़ की लागत से अनधिकृत रूप से कार्य किए गए, जबकि कार्य की नई श्रेणी के लिए यह अनुमति आवश्यक थी। पंचवटी-पार्क के कार्यों पर ₹ 4.41 करोड़ की अस्वीकार्य राशि खर्च की गई, जो मनरेगा के अधिकृत कार्यों की सूची में शामिल नहीं थे।

28 श्रमिकों को संशोधित मजदूरी दरों का भुगतान न करना, कार्यों के तकनीकी सत्यापन के बिना ही ₹ 4.17 लाख का अनियमित भुगतान (चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से चार में) तथा कार्य-स्थल पर कोई काम न होने के बावजूद 274 मानव-दिवसों के लिए ₹ 0.67 लाख का भुगतान करना (चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से सात में) जैसी कई समस्याएं संज्ञान में आईं। यह भी देखा गया कि मस्टर रोल अनियमित थे या उनमें श्रमिकों के हस्ताक्षरों का अभाव था। इसके अतिरिक्त, नरेगासॉफ्ट में ई-माप पुस्तिकाएं नहीं भरी गईं और केवल भौतिक माप पुस्तिकाएं ही अनुरक्षित रखी गईं, जिससे उच्च अधिकारियों द्वारा की जाने वाली निगरानी सीमित हो गई।

राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज की गई उपस्थिति में फोटोग्राफ नहीं मिले और अपलोड भी अधूरे थे, जो राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम दिशानिर्देशों के कमजोर अनुपालन को दर्शाते हैं। लेखापरीक्षा में ऐसे दृष्टांत भी पाए गए, जहां राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लिकेशन में उपस्थित के रूप में अंकित होने के बावजूद श्रमिक कार्यस्थल पर अनुपस्थित थे (ग्राम पंचायत जेरोट में छः श्रमिक अनुपस्थित पाए गए)। साथ ही, चयनित 24 ग्राम पंचायतों में से दो ग्राम पंचायतों में चार श्रमिकों को मस्टर रोल पर हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना ही भुगतान कर दिया गया।

राज्य सरकार :

- *जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित निगरानी सुनिश्चित करें, ताकि जॉब कार्ड जारी करने/अपडेट करने, कार्यों के निष्पादन व मजदूरी के भुगतान में होने वाले असामान्य विलम्ब को रोका जा सके।*

- *कार्यों की शेल्फ एवं श्रम बजट मनरेगा दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित करें।*

पशुपालन विभाग

हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

पशुपालन विभाग को पशुधन की आनुवंशिक क्षमता में सुधार, प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से पशु रोगों की रोकथाम व नियंत्रण, विभिन्न स्तरों पर पशु चिकित्सा सेवाओं के प्रावधान, संकटग्रस्त नस्लों के संरक्षण और प्रसार सेवाओं के प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

"हिमाचल प्रदेश में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं" पर यह अनुपालन लेखापरीक्षा वित्तीय संसाधनों, मानव संसाधनों, दवाओं, उपकरणों, बुनियादी ढांचे तथा निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र की उपलब्धता और उपयोग के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं की योजना की समीक्षा करने हेतु आयोजित की गई थी। यह लेखापरीक्षा चार चयनित आहरण एवं संवितरण कार्यालयों एवं निदेशालय में वर्ष 2021-24 की अवधि को लेते हुए की गई, जिसमें संयुक्त भौतिक निरीक्षण और एक लाभार्थी सर्वेक्षण भी किया गया।

वर्ष 2021–24 के दौरान विभाग ने ₹ 1,562.78 करोड़ के बजट आवंटन के सापेक्ष ₹ 68.86 करोड़ का अव्ययित शेष रखते हुए ₹ 1,493.92 करोड़ का व्यय किया। व्यय का एक बड़ा हिस्सा (68 से 77 प्रतिशत) वेतन पर खर्च किया गया था, जबकि इसी अवधि के दौरान दवाओं व उपकरणों पर होने वाले व्यय का हिस्सा कुल व्यय के 3.11 प्रतिशत से घटकर 1.44 प्रतिशत रह गया।

निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार नहीं की गईं एवं वर्ष 2021-24 के दौरान केवल जिला-वार भौतिक लक्ष्य ही जारी किए गए। मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इसी तरह की अभ्युक्ति प्रतिवेदित किए जाने के बावजूद यह कमी बनी रही। वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों, पशु चिकित्सा अधिकारियों और पशु चिकित्सा फार्मासिस्टों जैसे प्रमुख पदों पर सात से 29 प्रतिशत की निरंतर रिक्तियों ने सेवा वितरण को और अधिक प्रभावित किया।

संबंधित क्षेत्रीय इकाइयों से औपचारिक मांग-पत्र प्राप्त किए बिना ही ₹ 7.55 करोड़ की दवाओं एवं उपकरणों की खरीद की गई। कुल 885 दवाएं (1,906 दवाओं में से), जिनका मूल्य ₹ 3.08 करोड़ था, अनिवार्य विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के बिना ही स्वीकार कर ली गईं। 70 संस्थानों में रोगी पशुओं को एक्सपायर हो चुकी दवाएं (एक माह से लेकर 36 माह तक)

दी गईं। दवाओं के कुल 364 नमूनों में से 235 दवाएं मानक गुणवत्ता की पाई गईं एवं दवाओं के 10 नमूने निम्न स्तरीय पाए गए, जबकि शेष 119 नमूनों के परिणाम 15 से 42 माह (जुलाई 2025 तक) बीत जाने के बाद भी प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं हुए। ₹ 9.22 लाख मूल्य की निम्न स्तरीय दवाएं वितरित की गईं और इनमें से 78 प्रतिशत दवाओं का राज्य में उपभोग भी कर लिया गया। निर्धारित ऑनलाइन इन्वेंट्री एप्लीकेशन कार्यान्वित नहीं की गई, जो एक्सपायरी दवाओं के वितरण को रोकने और बेकार पड़े उपकरणों की स्थिति पर नज़र रखने में सहायक हो सकती थी। टीकाकरण कार्यक्रमों में भी नौ से 75 प्रतिशत तक की भारी कमी देखी गई, जिससे रोग नियंत्रण के प्रयासों को हानि हुई। पशु चिकित्सा उपकरण (₹ 0.91 करोड़ की लागत के 487 उपकरण) खरीद के समय से ही अप्रयुक्त रहे या योजना, अधोसंरचना अथवा प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण कार्यशील नहीं हो सके।

अवसंरचना के सन्दर्भ में वर्ष 2021-24 के दौरान स्वीकृत 68 कार्यों में से ₹ 1.82 करोड़ की लागत वाले केवल नौ कार्य ही पूर्ण हुए, जबकि 27 कार्य अपूर्ण (चल रहे) थे तथा मार्च 2024 तक शेष 32 कार्य आरंभ ही नहीं हो सके थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अवधि से पूर्व के भी ₹ 19.43 करोड़ की लागत वाले 26 कार्य अपूर्ण थे, जबकि ₹ 11.77 करोड़ की लागत वाले 40 कार्यों को निर्माण एजेंसियों द्वारा आरंभ ही नहीं किया गया था।

राज्य में निरीक्षण लक्ष्यों की प्राप्ति में 43 से 86 प्रतिशत तक की भारी कमी पाई गई।

29 पशु चिकित्सा संस्थानों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में अप्रयुक्त उपकरण, एक्सपायरी दवाओं का स्टॉक, कर्मचारियों की कमी, जर्जर बुनियादी ढांचा एवं विद्युत का अभाव पाया गया। लाभार्थी सर्वेक्षण से परिलक्षित हुआ कि 73 प्रतिशत उत्तरदाता उपचार एवं स्टाफ के सहयोग से संतुष्ट थे। हालांकि 38 प्रतिशत ने स्टाफ की कमी तथा 48 प्रतिशत ने इंजेक्शनों की कमी की सूचना दी। इसके अतिरिक्त, केवल 11 प्रतिशत ने नैदानिक परीक्षण की उपलब्धता का उल्लेख किया और केवल 35 प्रतिशत लोग शिकायत निवारण तंत्र से अवगत थे।

राज्य सरकार :

- *सुनिश्चित करें कि विभाग जनवरी माह में पशुधन आवश्यकताओं, संसाधनों व वित्तीय आवंटन के अनुरूप यथार्थवादी, जिला-वार लक्ष्यों सहित व्यापक वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार करे।*
- *क्षेत्रीय इकाइयों से लिखित मांग-पत्र अनिवार्य कर खरीद प्रक्रिया का मानकीकरण किया जाए तथा दवाओं व उपकरणों के स्टॉक स्तर, एक्सपायरी की तिथि एवं वितरण की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन इन्वेंटरी प्रबंधन सिस्टम को कार्यशील किया जाए।*

- *प्रमुख रिक्त पदों को भरकर, कार्मिकों को उपकरणों के उपयोग, टीकों के संचालन एवं स्टॉक प्रबंधन में प्रशिक्षित करके मानव-संसाधन व क्षमता सम्बन्धी कमियों का निराकरण करें।*

स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग

विभाग "मोटरेबल राउंड रोड पर कॉम्बरमेयर नाले के ऊपर रीइन्फोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट (RCC) डबल-लेन पुल" बनाने का काम पूरा करने के लिए ज़रूरी संविदात्मक शर्तें लागू करने, बाधारहित-कार्यस्थल सुनिश्चित कराने एवं लिखित संरचनात्मक ड्रॉइंग उपलब्ध कराने में विभाग की अक्षमता के कारण ₹ 0.53 करोड़ का निष्फल व्यय, पुन: निविदा के कारण राज्य कोषागार पर ₹ 0.74 करोड़ के अतिरिक्त बोझ पड़ा तथा स्वीकृति के आठ वर्षोपरांत भी पुल का निर्माण पूर्ण नहीं हो सका, जिससे अपेक्षित सार्वजनिक लाभों में विलम्ब हुआ।